फर्द अहकाम

[illegible] बनाम संस्कृत पाठशाला /

वाद 40/[illegible] /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25/9/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/10/24 को पेश हो।	
9/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वास्ते बहस नहीं हेतु दि0 6/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
6/11/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/11/24 को पेश हो।	
20/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप0 बहस अंतिम सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 27/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
27/11/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप0। [illegible] प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 112 [illegible] अस्वीकार कर खारिज [illegible] पत्रावली में [illegible] निर्णय किया जाता है। [illegible] पत्रावली [illegible] बाद तामील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :40/2022
निर्णय दिनांक : 27.11.2024

उनवान

1. भागीरथ पुत्र रामदास जाति छीपा निवासी ग्राम बगरु कँला तहसील सांगानेर, जिला–जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. संस्कृत पाठशाला बँगरु कला तहसील सांगानेर जरिये प्रधानाध्यपक
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील, सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व सीमानिर्धारण अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक: 27.11.2024

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बगरु तहसील सांगानेर के सावित खसरा नम्बर 3200 रकबा एक बीधा सात बीस्वा किस्म वंजड दोयम खुदकाश्त भूमि जमाबन्दी संवत 2011 से 2030 के अनुसार ठाकुर कीरत सिहं ठीकाना बँगरु के नाम राजस्व अभिलखों में अंकित रही है। खसरा गिरदावरी संवत 2012 से 2015 मे खसरा नम्बर 3200 रकबा एक बीधा सात बीस्वा मे से सात बीस्वा पर सरदार मुसलमान का पुख्ता धर होने बात अंकन दर्ज है तथा संवत 2030 से 2033 की खसरा गिरदावरी मे खसरा नम्बर 3200 रकबा एक बीधा सात बीस्वा भूमि में से एक बीधा पर मैदान होना अंकित है तथा सात बीस्वा पर आवादी मकान होना अंकित है तत्पश्चात सरदार के देहान्त हो जाने पर उसके वारिस बहन श्रीमती गौरा देवी धर्मपत्नि अली मोहम्मद के नाम ग्राम पंचायत बगरुं कंला ने मिसल संख्या 35 के तहत नियमानुसार दिनांक 20.01.1980 को पटटा जारी किया तथा गोरा देवी के देहान्त हो जाने पर विधि अनुसार उसके वारिसान उक्त भूमि के काबिज व स्वामी हो गये तथा तभी से पटटेशुदा भूमि पर गौरा देवी के वारिसान काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे थे तथा पटटे की नाप व सीमाए निम्न प्रकार है पूर्व से पश्चिम 90 फीट तथा उत्तर से दक्षिण 87 फीट कुल क्षेत्रल 870 वर्गगज है तथा पूर्व की ओर खेत चौथू माली पश्चिम मोती नट की कब्जेशुदा भूमि, उत्तर खाम धीसा माली, दक्षिण– नलों स्थित है तथा वर्तमान मे सीमॉए निम्न प्रकार है– पूर्व रघुनाथ व गणेश नारायण की भूमि पश्चिम रफीका वानो का मकान, उत्तर मे गेदीलाल छीपा व रामेश्वर माली का मकान, दक्षिण मे महेश कुमार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

छीपा की भूमि व आम रास्ता तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या एक का निर्माण स्थित है जो प्रार्थना पत्र में संलग्न नक्शे में दर्शित है। आराजी खसरा नम्बर 3200/2 ग्राम बगरू कला तहसील सांगानेर मे स्थित रहा है जिसका ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने के पश्चात तथा गौरा देवी के देहान्त हो जाने के पश्चात उसके विधिक वारिसान ने प्रार्थीगण को पट्टा शुदा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.03.1996 को विक्रय कर दी जिस पर प्रार्थी अपने परिवार सहित आवासीय उपयोग उपभोग करता आ रहा है। संवत 2029 से 2036 के राजस्व अभिलेखो के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 3200 रकबा एक बीधा सात बीस्वा मे से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 13.06.1972 की अनुपालना में खसरा नम्बर 3200 मिन रकबा एक बीधा भूमि जरिये नामान्तरण संख्या 584 दिनांक 03. 09.1973 को अप्रार्थी संख्या एक के नाम राजस्व अभिलेखो मे दर्ज की गई तत्पश्चात खसरा नम्बर 3200 के दो खसरा नम्बर 3200 रकबा सात बीस्वा तथा खसरा नम्बर 3200/1 रकबा एक बीधा बनाये गये। साबिक खसरा नम्बर 3200/1 रकबा एक बीधा अप्रार्थी संख्या एक के नाम जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 में अंकित है। भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान खसरा नम्बर 3200/1 रकबा एक बीधा के नवीन खसरा नम्बर 5369 मिन रकबा 0.24 हैक्टयर बनाये गये तथा खसरा नम्बर 3200/2 रकबा सात बीस्वा के नवीन नम्बर 5369 मिन 0.06 हैक्टयर बनाये गये जबकि सात बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली मे परिवर्तन करने पर 0.09 हैक्टयर होते है परन्तु भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा विधि अनुसार पूर्व की प्रविष्टीयो को किसी बिना आधार अधिकार व आदेश के परिविर्तत करते हुए अप्रार्थी संख्या दो की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3200/2 रकबा सात बीस्वा किस्म सिवायचक के नवीन नम्बर 5369 मिन 0.06 हैक्टयर को अप्रार्थी संख्या एक को आवंटित भूमि साबिक खसरा नम्बर 3200/1 रकबा एक बीधा के नवीन खसरा नम्बर 5369 रकबा 0.24 हैक्टयर में अविधिक व गैर कानूनी रुप से संयोजित कर खसरा नम्बर 5369 रकबा 0.30 हैक्टयर भूमि को अप्रार्थी संख्या एक के नाम अंकित कर दिया जबकि अप्रार्थी संख्या एक को मात्र एक बीधा भूमि आंवटित हुई है। दिनांक 8.4.2022 को अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा प्रार्थी को धमकी दी गई कि आपकी पटटेशुदा व कब्जेशुदा भूमि हमारे नाम अंकित है इसलिए आप जल्द ही उक्त भूमि को खाली कर देवे अन्यथा हम जबरन भूमि खाली करवा लेगे तथा जबरन निर्माण कार्य करेगे इस पर प्रार्थी ने उनसे निवेदन किया कि उक्त भूमि आपकी खातेदारी की भूमि नही है तथा आपको किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नही है कि आप प्रार्थी की कब्जेशुदा व पटटेशुदा भूमि पर जबरन निर्माण कार्य करे तथा निर्माण कार्य करने से पूर्व पुख्ता सीमा चिन्ह स्थापित करावे इस पर अप्रार्थी संख्या एक के कर्मचारीयो ने कहा कि ना तो सीमाज्ञान करायेगे तथा ना ही सीमाचिन्ह स्थापित करायेगे

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

और जल्द ही जबरन निर्माण कार्य करेगे जिसके उपरान्त प्रार्थी ने समस्त राजस्व अभिलेखो की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तब प्रार्थी को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई अवैध प्रविष्टीयो की जानकारी हुई जिस पर प्रार्थी अपने अधिकारो की सुरक्षा अप्रार्थी संख्या दो से व्यक्तिगत मिला तथा समस्त घटनाक्रम की जानकारी दी तथा समस्त दस्तावेजात भी अप्रार्थी संख्या दो दिखाये जिस पर अप्रार्थी संख्या दो ने कहा कि जब तक आप न्यायालय से आदेश प्राप्त नही करते है तब तक हम उक्त गलती को दुरुस्त नही कर सकते है इसलिए प्रार्थी द्वारा अविलम्ब प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी अधिकारी है कि वे मान्य न्यायालय से वादग्रस्त भूमि पर विधिवत् परिनिर्मित स्थाई सीमा चिन्ह कायम करावे तथा अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि पर जबरिया अवैध रूप से अतिक्रमण होने की अवस्था में अतिक्रमण को हटवावे। प्रार्थी को वादकारण अप्रार्थी संख्या एक के कारकूनान के द्वारा दिनांक 08.04.2022 को जबरिया मनमाने एवं गैरकानूनी तौर तरीके से प्रार्थीगण की वादग्रस्त पटटेशुदा भूमि दक्षिणी दिशा की सीमा को स्वयं की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 5369 की उत्तरी दिशा की सीमा मानते हुए उस पर जबरन निर्माण करने पर आमादा होने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार डिक्री फरमाये जावे कि पूर्व के राजस्व अभिलेखो मे अनुसार हाल राजस्व अभिलेखो को दुरुस्त कर खसरा नम्बर 5369 रकबा 0.30 हैक्टयर ग्राम बगॅरु कला तहसील सांगानेर मे से रकबा 0.06 हैक्टयर कम किये जाने के आदेश पारित करे तथा नवीन खसरा नम्बर 5369/1 रकबा 0.06 हैक्टयर राजस्व अभिलेखो मे दर्ज किये जाने के आदेश पारित करे तथा उसी अनुरुप राजस्व नक्शे को दुरुस्त किये जाने के आदेश पारित करे तथा खसरा नम्बर 3200/1 रकबा एक बीधा के नवीन खसरा नम्बर 5369 रकबा 0.24 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 3200/2 रकबा सात बीस्वा किस्म सिवायचक के नवीन नम्बर 5369/1 मिन 0.06 हैक्टयर की सीमाओं पर विधिवत् परिनिर्मित स्थाई सीमाचिन्ह स्थापित करवावे तथा खसरा नम्बर 3200/2 रकबा 7 बीस्वा किस्म सिवायचक के नवीन नम्बर 5369 मिन 0.06 हैक्टयर के भू-भाग पर अप्रार्थी का अतिक्रमण होने की अवस्था अतिक्रमण में अप्रार्थीगण को उक्त भू-भाग से बेदखल किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण संख्या 1 उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1 ओर से को जवाब दावा पेश । वकील अप्रार्थीगण की ओर से जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा नम्बर 5333, 5334 व 5369 की भूमि राजकीय

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

संस्कृत विद्यायल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। जिसे साबित करने का भार स्वयं प्रार्थी पर है। उक्त मद में वादी द्वारा खसरा नम्बर 3200 गिरदावरी संवत 2012 से 2015 में सरदार मुसलमान का घर अंकित होना बताया है। एवं ग्राम पंचायत द्वारा 20.01.1980 में पट्टा जारी होना बताया है जबकि उक्त भूमि खसरा नम्बर 5333, 5334 एवं 5369 है। जो राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय संस्कृत विद्यालय के नाम दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी एवं नक्शा संलग्न है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत तथ्य मिथ्या एवं सारहीन है। प्रार्थना पत्र जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। जिसे प्रार्थी अपनी दस्तावेजी साक्ष्य से स्वयं साबित करें। वर्तमान समय में उक्त भूमि खसरा नम्बर के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा नम्बर 5333, 5334 व 5369 की भूमि राजकीय संस्कृत विद्यायल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिस पर काफी वर्षों से राजकीय विद्यालय संचालित हो रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र वेईमानी एवं बदनियती से वशीभूत होकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र नामान्तकरण संख्या 854 दिनांक 03.09. 1973 से कि उक्त वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 अर्थात राजकीय संस्कृत पाठशाला को आवंटित की गई थी तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी अप्रार्थी संख्या 1 राजकीय संस्कृत पाठशाला के नाम से दर्ज चली आ रही है। जिससे यह स्पष्ट है कि ना केवल आंशिक भाग अपितु खसरा नम्बर 5333, 5334 एवं 5369 की भूमि वादी द्वारा बेईमानी एवं बदनियती से वशीभूत होकर अपनी स्वयं की बता रहा है वह भी सम्पूर्ण भूमि राजकीय संस्कृत पाठशाला के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज है। प्रार्थी द्वारा उक्त मद में यह कही भी अंकित नहीं किया गया कि उक्त भूमि किस व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को किस प्रकार अन्तरण की गई है। ऐसा कोई दस्तावेजात् प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह करने के आशय से झूठे एवं निराधार तथ्यों के आधार पर तथ्यों को छिपाकर उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। प्रथम दृष्टया चलने योग्य ना होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र सम्बन्ध में निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 5333, 5334 एवं 5369 की सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी संख्या । अर्थात राजकीय संस्कृत पाठशाल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज है। उक्त भूमि से प्रार्थी का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं हैं। पीछले काफी वर्षों से उक्त भूमि पर राजकीय विद्यालय संचालित हो रहा है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत एवं निराधार होने के कारण अस्वीकार हैं। सही तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 अर्थात राजकीय संस्कृत पाठशाला बगरू को खसरा नम्बर 5369 रकबा 0.3000 हैक्टेयर जमीन आवंटित की गई हैं जो कि राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 राजकीय संस्कृत पाठशाला बगरू के नाम से इन्द्राज हैं उक्त भूमि से प्रार्थी का किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत एवं निराधार होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा उक्त मद में झूठे एवं निराधार तथ्य अंकित किये गये हैं जिनका वास्तविकता से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। यहां यह भी अंकित करना आवश्यक होगा कि अप्रार्थी संख्या 1 राजकीय संस्था है एवं उक्त संस्था में कार्यरत राजकीय कर्मचारी है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र माननीय न्यायालय को गुमराह करने हेतु मिथ्या तथ्य अंकित कर अंकित कर उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं जो प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा जो भूमि बताई गई हैं वह भूमि अप्रार्थी संख्या 1 राजकीय संस्कृत पाठशाला बगरू के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी का वर्षों से वैध कब्जा है, जिस पर काफी वर्षों से विद्यालय संचालित है। प्रार्थना में अंकित तथ्य गलत एवं निराधार होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उद्धेयश्य से झूठा वादकारण अंकित किया गया है। दिनांक 08.04.2022 को किसी भी प्रकार का कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अप्रार्थी लगभग 50 वर्षों से वादग्रस्त भूमि पर काबिज है ऐसी दशा में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र समयातित होने के कारण एवं वादकारण के अभाव में खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

वकील उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। वकील वादीगण ने अपनी बहस में दावे में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद को डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। तथा वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वादी के वाद को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का आधोपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षो की बहस पर मनन करने पर हम इस निकर्ष पहुँचे है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर रिकार्ड में दुरूस्ती हेतु अनुतोष चाहा गया है। हाल जमाबन्दी संवत 2074—2077 के खाता संख्या 1670 के खसरा नम्बर 5333, 5334 व 5369 कुल किता 3 कुल रकबा 1.2100 है0 पाठशाला बगरूकलां हिस्सा पुर्ण संस्था के लिए दर्ज रिकार्ड है। चुकि हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा नम्बर 5333, 5334 व 5369 की भूमि राजकीय संस्कृत विद्यायल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। जिसकी जमाबन्दी एवं नक्शा संलग्न है। नामान्तकरण संख्या 854 दिनांक 03.09.1973 से कि उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अर्थात राजकीय संस्कृत पाठशाला को आवंटित की गई थी तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रतिवादी संख्या 1 राजकीय संस्कृत पाठशाला के नाम से दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी लगभग 50 वर्षों से वादग्रस्त भूमि पर काबिज है वादी ने सेटलमेंट के पूर्व की जमाबन्दी व आदेश प्रस्तुत नही किये है। चुकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी का कब्जा काश्त नही है। भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार लिपिकीय त्रुटि को शूद्ध करने का प्रावधान है ना कि खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जा सकते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर